An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष – 0651-2444501, 2444502, फैक्स – 2444506
ई–मेल: jepcranchi1@gmail.com

पत्रांक :: JEPC/ICT/52/55/2023/1319 *दिनांक:* 08/4/2024

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
सभी जिलें, झारखण्ड।

विषय – **विद्यालय में आई.सी.टी. लैब/स्मार्ट क्लास के उपयोग सुनिश्चित करते हुए दैनिक अनुश्रवण/उपयोगिता प्रतिवेदित कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य के चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास/आई.सी.टी. लैब का अधिष्ठापन एवं संचालन किया जा रहा है। विद्यालय में अधिष्ठापित आई.सी.टी. लैब/स्मार्ट क्लास का नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाना है एवं दैनिक उपयोग में आ रही कठिनाईयों, यदि कोई हो तो, को नियमित अंतराल में समीक्षा कर दुर किया जाना है।

विद्यालय में अधिष्ठापित आई.सी.टी. लैब का उपयोग संबंधित आई.सी.टी. ईस्ट्रक्टर के द्वारा कम्प्युटर विषय का शिक्षण कक्षा 6–12 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को नियमित रूप से क्लास रूटिन के अनुसार दिया जाना है। संबंधित **आई.सी.टी. ईस्ट्रक्टर के द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस में कम से कम 4 कक्षा का संचालन** करते हुए उससे संबंधित *TimeStamp Photo* संबंधित पोर्टल *(https://jhpms.schoolnetindia.com)* के माध्यम से प्रतिवेदित किया जाना है। विद्यालय में आई.सी.टी. संचालन करने वाले प्रतिष्ठान के देय त्रैमासिक भुगतान विद्यालय में आई.सी.टी. लैब के उपयोग के आधार पर किया जायेगा। आई.सी.टी. ईस्ट्रक्टर के द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस में कम से कम 4 कक्षा का संचालन नहीं करने एवं संबंधित *TimeStamp Photo* पोर्टल के माध्यम से नहीं प्राप्त होने पर जवाबदेह तय करते हुए संबंधित आई.सी.टी. ईंस्ट्रक्टर, प्रतिष्ठान एवं विद्यालय पर कार्रवाई की जायेगी।

साथ ही विद्यालय में अधिष्ठापित स्मार्ट क्लास का नियमित उपयोग का अनुश्रवण भी किया जाना है। विद्यालय में अधिष्ठापित स्मार्ट क्लास का उपयोग विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। संबंधित विद्यालय के द्वारा अधिष्ठापित **प्रत्येक स्मार्ट क्लास** का उपयोग भी कम से कम 2 कक्षा संचालन में किया जाये। साथ ही इसकी उपयोगिता *(with Time Stamp Photo)* विद्यालय के शिक्षक स्वयं अथवा विद्यालय में कार्यरत आई.सी.टी. ईंस्ट्रक्टर के सहयोग से उक्त पोर्टल के माध्यस से करेंगे। अधिष्ठापित स्मार्ट क्लास का उपयोग उक्त मानक के अनुसार नहीं होने पर प्रतिष्ठान/विद्यालय प्रभारी/शिक्षक पर कार्रवाई की जा सकती है।

अतः संबंधित सभी विद्यालयों को निदेश दिया जाता है कि पोर्टल में विद्यालय में आई.सी.टी. लैब/स्मार्ट क्लास के उपयोग करवाते हुए इससे संबंधित विवरणी दैनिक रूप से अद्यतन किया जाये।

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है जिला कार्यालय स्तर पर DPMU की बैठक के माध्यम से आई.सी.टी. लैब/स्मार्ट क्लास के नियमित उपयोग की समीक्षा साप्ताहित रूप में करते हुए साप्ताहिक प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

विश्वासभाजन

7.04.24

(जयन्त कुमार मिश्र)
प्रशासी पदाधिकारी

पत्रांक :: JEPC/ICT/52/55/2023/1319 *राँची, दिनांक:* 08/04/2024

प्रतिलिपि– संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित/ M/s Schoolnet India Ltd/ M/s Extramarks Education India Ltd/ M/s Bennet Colemann Compnay Ltd/M/s Telecommunication of India Ltd Hitachi MGRM Net Ltd/ Millenium Automation Pvt Ltd को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

7.04.24

(जयन्त कुमार मिश्र)
प्रशासी पदाधिकारी